(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 515–तीन/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.01.2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सुभाषपुरा तह0 व जिला शिवपुरी प्रकरण क्र. 04/2015–16/अ–12

श्रीमती माया कुशवाह पत्नि श्री चन्द्रपाल सिंह
निवासी बृजधाम कॉलोनी हाथीखाना शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदिका

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन
2. मेहताब सिंह तोमर पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह तोमर
   निवासी– तोमर होटल सतनवाडा थाने के पास शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

अनावेदक क. 1 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता तथा अनावेदक क. 2 एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार सुभाषपुरा तह0 व जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. 04/2015–16/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरुद्ध म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका माया देवी द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसकी भूमि स्थित

ग्राम श्यामपुर सर्वे क. 5/1, 5/2 कुल रकवा 0.40 हे. पर अनावेदक द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आवेदिका द्वारा आवेदन में एस.एल.आर. के माध्यम से सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया। उक्त आवेदन तहसीलदार को भेजा गया। तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सीमांकन दल गठित किया गया। जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर तहसीलदार ने आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदिका को वगैर मौके पर बुलाये एवं स्वयं सीमांकन अधिकारी द्वारा मौके पर जाए वगैर ही अवैध व मनमानी सीमांकन रिपोर्ट, नक्शा पंचनामा व रसीद संलग्न कर आवेदिका की अनुपस्थिति में अवैध व मनमाना पूर्ण सीमांकन किया गया है। जिसे निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत सीमांकन किया जाए।

4. अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर करने का निवेदन किया गया।

5. अनावेदक क्र. 2 एकपक्षीय हैं।

6. आवेदक एवं अनावेदक शासन के अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि अभिलेख में सीमांकन किए जाने के संबंध में कोई सूचना आवेदक या अन्य सरहदी काश्तकारों को दी गई हो, इस प्रकार का कोई सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। पंचनामा पर भी सरहदी काश्तकार उपस्थित थे, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है और न ही किसी के हस्ताक्षर हैं। पंचनामा के साथ रसीद संलग्न है जिसमें सीमांकन किए जाने

एवं सीमांकन समझ लिए जाने का उल्लेख आवेदिका की ओर से किया जाना बताया है परंतु उस पर भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह में पटवारी एवं लखन कोटवार के हस्ताक्षर अवश्य हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकरण में की गई सीमांकन की समस्त कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

फलस्वरूप अपर तहसीलदार का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पुनः एस. एल.आर. की अध्यक्षता में सीमांकन दल गठित करें और प्रकरण में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही आवेदिका एवं अन्य सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में की जाकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर